# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2484/2024**

महेश कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य/यूसीईईओ, शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 05.08.2024

**आदेश की दिनांक** : 28.08.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री सुरेश अग्रवाल, ओआईसी

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 01.08.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) के पद पर शहीद कैप्टन प्रमोद लाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वैशाली नगर, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 01.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। जबकि अपीलार्थी को न तो कोई आरोप पत्र दिया गया है और न ही नियम 13 का पूर्ण रूप से सही उल्लेख किया गया है। उसके बाद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना विवेक का प्रयोग किये निलंबन आदेश जारी किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी को नियम 13(1) अथवा नियम 13(2) किस नियम के अंतर्गत निलंबित किया गया है, यह उल्लेख निलंबन आदेश में नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार सही नियम का उल्लेख करते हुये निलंबन आदेश जारी किया जाना चाहिए। इस प्रकार जारी किया गया निलंबन आदेश नियम विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 जिसमें रिट याचिका स्वीकार की गई है, इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 01.08.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने मौखिक रूप से बहस करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है और जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) के पद पर शहीद कैप्टन प्रमोद लाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वैशाली नगर, झोटवाडा, जयपुर में

कार्यरत है और आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 01.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किये गये निलंबन आदेश में सही नियम का उल्लेख नहीं किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 01.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी को जांच अध्याधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का उल्लेख करते हुये निलंबित किया गया है, जो उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के नियम विरूद्धता एवं विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम आलोच्य निलंबन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**